छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008

निजी शिक्षण संस्था गुरूकूल इंस्टीट्यूट गरियाबंद छ0ग0 में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम(दो वर्षीय) हेतु फीस का पुनरीक्षण अंतिम रूप से शैक्षणिक सत्र 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 के लिए किया जा रहा है

तथा

निजी शिक्षण संस्था आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेडुका(पेंड्रा रोड़) बिलासपुर छ0ग0 में संचालित बी0एड0 एवं एम0एड0 पाठ्यक्रम(दो वर्षीय) एवं सोनकर कॉलेज, बुंदेली, मुंगेली छ0ग0 में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु फीस का पुनरीक्षण अंतिम रूप से शैक्षणिक सत्र 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए किया जा रहा है ।

तथा

जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दर्राभाठा जिला जांजगीर चांपा एवं विद्यापीठ कॉलेज, मालवीय नगर, दुर्ग छ0ग0 में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम (दो वर्षीय) हेतु फीस का निर्धारण शैक्षणिक सत्र 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए किया जा रहा है ।

संकल्प दिनांक 03/06/2019

1. छ0ग0 निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) एवं (2) के प्रावधानों के अंतर्गत गुरूकूल इंस्टीट्यूट गरियाबंद छ0ग0 में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु फीस का पुनरीक्षण पूर्व में वर्ष 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 के लिए किया गया था । अब इनकी फीस का पुनरीक्षण वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 के लिए किया जा रहा है । इसी प्रकार सोनकर कॉलेज, बुंदेली, मुंगेली छ0ग0 में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का पुनरीक्षण पूर्व में वर्ष 2016-2017, 2017-2018 एवं 2018-2019 के लिए किया गया था । अब इनकी फीस का पुनरीक्षण वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए किया जा रहा है । इसी प्रकार जगरानी देवी कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, दर्राभाठा, जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 एवं विद्यापीठ कॉलेज, मालवीय नगर दुर्ग छ0ग0 में बी0एड0 पाठ्यक्रम वर्ष 2019-20 से संचालित होने जा रही है । अतः इनकी संस्था में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु फीस का निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए किया जा रहा है ।

2. उपर्युक्त सभी बी0एड0/एम0एड0 संस्थाओं द्वारा अपने-अपने महाविद्यालय में आय-व्यय से संबंधित जानकारी प्रपत्र-अ एवं ब में प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर प्रति छात्र गणना पत्रक समिति के सदस्य(वित्त) श्री सिद्धार्थ पारख द्वारा तैयार किया गया तथा सभी बी0एड0/एम0एड0 संस्थाओं का भ्रमण किया गया, जिसमें उस महाविद्यालय की अधोसंरचना, प्रयोगशालाएं, स्टाफ(टीचिंग/नान टीचिंग), छात्रावास की सुविधाएं यदि उपलब्ध हो, खेलकूद के मैदान तथा अन्य बिन्दुओं पर निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गयी । इसके उपरांत उपर्युक्त सभी बी0एड0/एम0एड0 संस्थाओं को फीस पुनरीक्षण के संबंध में सुनवाई का अवसर देते हुए उन्हें सुना गया । आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका(पेन्ड्रा रोड़) बिलासपुर ने तर्क रखा कि बी0एड0 हेतु रू. 40,000/- एवं एम0एड0 हेतु फीस रू. 60,000/- रखने का अनुरोध किया है । इसी प्रकार विद्यापीठ कॉलेज, मालवीय नगर दुर्ग छ0ग0 द्वारा तर्क रखा गया कि उनकी संस्था में संचलित पाठ्यक्रम बी0एड0 हेतु फीस रू. 32,000/- वार्षिक करने का अनुरोध किया है ।

3. उपर्युक्त बी0एड0/एम0एड0 संस्थाओं के फीस पुनरीक्षण हेतु यह समिति सर्वप्रथम माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतों एवं अधिनियम के प्रावधानों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहेगी । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश जिसमें सर्वप्रथम इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका (2003) 6 SSC 697 का न्याय दृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्ययालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 154 एवं पैरा 198 में निम्नानुसार दिशा निर्देश दिए हैं:

> 154. The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of the institution, investment made, future plan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.
>
> 198. Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admission to the most eligible candidates, requiring merit in a poor country like ours, the tuition and other fees should be within the reach of common people.

4. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा T.M.A. PAI FOUNDATION Vs.STATE OF KARNATAKA (2002) 8 SCC 481 का न्याय दृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्ययालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा निर्देश दिए हैं:

> 56. ..... Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money .....
>
> 57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence i education, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the
>
> institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put is differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.

5. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि:

> 1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:
>
> (क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति:
>
> (ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति:
>
> (ग) भूमि और भवन का मूल्य:
>
> (घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्कर:
>
> (ङ)प्रशासन तथा संधारण पर व्यय:
>
> (च)व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्य:
>
> (छ) कोई अन्य सुसंगत कारक :

-Barark

6. फीस के निर्धारण/पुनरीक्षण के समय यह समिति युक्तियुक्त ढंग से फीस के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु सर्वप्रथम इस समिति के सदस्य(वित्त) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गणना पत्रक का अवलोकन किया गया । गणना पत्रक में उन्होंने फीस के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु गणना की है तथा अंत में फीस Expenditure per intake student including depreciation का उल्लेख किया है जिसके अनुसार:

स0 क0	बी0एड0/एम0एड0 महाविद्यालयों के नाम जिनकी फीस का पुनरीक्षण/निर्धारण किया जाना है ।	पाठ्यक्रम का नाम	Amount (Rs. in lakh) As per Audit Report	Amount (Rs. in lakh) As per Form B
1	गुरूकूल इंस्टीट्यूट गरियाबंद छ0ग0	बी0एड0	0.000	0.000
2	आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेडुका(पेंड्रा रोड़) बिलासपुर छ0ग0	बी0एड0 एवं एम0एड0	0.000	0.000
3	सोनकर कॉलेज, बुंदेली, मुंगेली छ0ग0	बी0एड0	0.000	0.311
4	जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दर्राभाठा जिला जांजगीर चांपा छ0ग0	बी0एड0	0.000	0.000
5	विद्यापीठ कॉलेज, मालवीय नगर, दुर्ग छ0ग0	बी0एड0	0.085	0.132

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 में निर्धारित किया है "Education, accepted as a useful activity, whether for charity or for profit, is an occupation. Nevertheless, it does not cease to be a service to the society. And even though an occupation, it cannot be equated to a trade or a business" ।

8. पूर्व में माननीय जस्टिस झा समिति के द्वारा संस्थाओं द्वारा लिए गये लोन पर ब्याज पर स्पष्ट आदेश किये जा चुके हैं । तथा यह बात Islamic Studies Centre के फैसले में भी पूर्व में प्रतिपादित हो चुकी है ।

9. जहां तक बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों का संबंध है । फीस निर्धारण/पुनरीक्षण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना उचित होगा कि बी0एड0 एवं एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्र अधिकांशतः मध्यम आय वर्ग अथवा निम्न आय वर्ग के प्रायः होते हैं । अतः इन परिस्थितियों को विचार में रखते हुए कि संबंधित महाविद्यालय छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके । वहीं मध्यम व निम्न आय वर्ग के छात्र इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अध्ययन प्राप्त कर सकें । विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में मध्यम आय वर्ग एवं निम्न

आय वर्ग की औसत आय को विचार में रखते हुए फीस का पुनरीक्षण किया जाना यह समिति उचित पाती है ।

10. पूर्व में प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा दिनांक 07/02/2019 के संकल्प के अनुसार बी0एड0 तथा एम0एड0 के पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण किया गया है । लगभग 3-4 माह की अवधि के अंतराल में दिनांक 07/02/2019 की फीस से भिन्न पुनः निर्धारण करने का कोई वांछित कारण नहीं बनता । अतः यह समिति दिनांक 07/02/2019 प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं के निरीक्षण के उपरांत यह समिति इन्फ्रास्ट्रक्चर, लायब्रेरी, लेबोरेटरी आदि सभी दृष्टिकोणों से निरीक्षण किये जाने वाले कॉलेजों को बहुत अच्छा, अच्छा तथा साधारण की श्रेणी में रखी है । समिति द्वारा सर्वसम्मति से बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु बहुत अच्छा श्रेणी के कॉलेजों बाबत् फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना उपयुक्त पाती है ।

11. पूर्व में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार फीस निर्धारित की गई थी जो निम्नानुसार है:-

Categery	Basic	Incentive	Growth	Total
बहुत अच्छा श्रेणी हेतु	Rs. 27,270/-	Rs. 2000/-	Rs.1000/-	Rs. 30, 270/-
अच्छा के लिए	Rs. 27,270/-	Rs. 1500/-	Rs.1000/	Rs. 29,770/-
साधारण के लिए	Rs. 27,270/-	Rs. 1000/-	Rs.1000/	Rs. 29, 270/-

12. वर्तमान में यह समिति पूर्व के फीस की अपेक्षा बहुत अच्छा श्रेणी के महाविद्यालय की फीस रू. 1,700/- जो कि 5.62% होती है। इसी प्रकार अच्छा श्रेणी के महाविद्यालय के लिए रू. 1200/- जो कि पूर्व की अपेक्षा 4.03% होती है तथा साधारण श्रेणी के महाविद्यालयों के लिए रू. 700/- जो कि पूर्व की अपेक्षा 2.39% होती है, बढ़ाना यह समिति उपयुक्त पाती है ।

Categery	Basic	Incentive	Growth	Total
बहुत अच्छा श्रेणी के लिए	Rs. 27,270/-	Rs. 3, 500/-	Rs.1200/-	Rs. 31,970/-
अच्छा श्रेणी के लिए	Rs. 27,270/-	Rs. 2,500/-	Rs.1200/	Rs. 30,970/-
साधारण श्रेणी के लिए	Rs. 27,270/-	Rs. 1500/-	Rs.1200/	Rs. 29,970/-

13. इसी प्रकार पूर्व में एम0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार फीस निर्धारित की गई थी जो निम्नानुसार है:-

Categery	Basic	Incentive	Growth	Total
बहुत अच्छा श्रेणी के लिए	Rs. 46,350/-	Rs. 2000/-	Rs.1000/-	Rs. 49,350/-
अच्छा के लिए	Rs. 46,350/	Rs. 1500/-	Rs.1000/	Rs. 48,850/-
साधारण के लिए	Rs. 46,350/	Rs. 1000/-	Rs.1000/	Rs. 48, 350/-

14. यह समिति पूर्व के फीस की अपेक्षा एम0एड0 पाठ्यक्रम हेतु बहुत अच्छा श्रेणी के महाविद्यालय की फीस रू. 2,200/- जो कि 4.46% होती है। इसी प्रकार अच्छा श्रेणी के महाविद्यालय के लिए रू. 1,700/- जो कि पूर्व की अपेक्षा 3.48% होती है तथा साधारण श्रेणी के महाविद्यालयों के लिए रू. 700/- जो कि पूर्व की अपेक्षा 1.45% होती है, बढ़ाना यह समिति उपयुक्त पाती है

वर्ग	Basic	Incentive	Growth	Total
बहुत अच्छा श्रेणी हेतु	Rs. 46,350/-	Rs. 4,000/-	Rs.1200/-	Rs. 51,550/-
अच्छा श्रेणी के लिए	Rs. 46,350/	Rs. 3,000/-	Rs.1200/	Rs. 50,550/-
साधारण श्रेणी के लिए	Rs. 46,350/	Rs. 1500/-	Rs.1200/	Rs. 49,050/-

15. तद्नुसार यह समिति नीचे दर्शाएं अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित बी0एड0 एवं एम0एड0 पाठ्यक्रमों में फीस का निर्धारण/पुनरीक्षण अंतिम रूप से उनके नाम के सम्मुख दर्शित वर्षों के लिए किया जा रहा है:

परिशिष्ट-I

बी0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का पुनरीक्षण
वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021

स0 क0	बी0एड0 महाविद्यालयों के नाम	श्रेणी	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।	फीस प्रति वर्ष प्रति छात्र (सम्मिलित ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी अन्य फीस)
1	गुरूकूल इंस्टीट्यूट गरियाबंद छ0ग0	अच्छा	2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021	Rs. 30,970/-
2	सोनकर कॉलेज; बुंदेली, मुंगेली छ0ग0	अच्छा	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	Rs. 30,970/-
3	आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेडुका(पेंड्रा रोड़)	अच्छा	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	Rs. 30,970/-

परिशिष्ट-II

बी0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण

वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 से

स0 क्र0	बी0एड0 महाविद्यालयों के नाम	श्रेणी	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।	फीस प्रति वर्ष प्रति छात्र (सम्मिलित ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी अन्य फीस)
1	जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दर्राभाठा जिला जांजगीर चांपा छ0ग0	अच्छा	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	Rs. 30,970/-
2	विद्यापीठ कॉलेज, मालवीय नगर, दुर्ग छ0ग0	अच्छा	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	Rs. 30,970/-

परिशिष्ट-II

एम0एड0 पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण

वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 से

स0 क्र0	बी0एड0 महाविद्यालयों के नाम	श्रेणी	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।	फीस प्रति वर्ष प्रति छात्र (सम्मिलित ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी अन्य फीस)
1	आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेडुका(पेंड्रा रोड़)	अच्छा	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	Rs. 50,550/-

16. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोइ भी शुल्क भवन, फर्नीचर आदि के मद में वसूल नहीं कर सकेगी ।
17. संस्था छात्र से रू. 2,000/- प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी ।
18. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
19. संस्था द्वारा ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क "न लाभ न हानि" (NO PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा । संस्था ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य फीस जिन-जिन मदों में ली जावेगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईड तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी । प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रास्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी ।

20. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा ।

21. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, यदि कोई संस्था चाहे तो वह निर्धारित फीस से कम फीस ले सकती है ।

22. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र(जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं करवाया जाना है । सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है ।

23. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था छात्र से रू. 10/-(रूपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रू. 15/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी ।

24. WP© 1707/2016 श्री शंकराचार्य प्राफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो वह काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी । अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी ।

25. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही ली या वापस की जा सकेगी ।

26. निर्धारित फीस प्रति वर्ष ली जा सकेगी । संस्था चाहे तो इसे स्वेच्छानुसार प्रत्येक तीन माह के अंतराल में सुविधानुसार ले सकती है

27. संबंधित संस्थाएं फीस से संबंधित जानकारी एवं स0क्र0 16 से 26 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा संस्था अपनी वेबसाईड में भी डालेंगे तथा की गई कार्यवाही से इस समिति को सूचित करेंगे ।

अतः यह समिति बी0एड0 एवं एम0एड0 महाविद्यालयों की श्रेणी का निर्धारण करते हुए परिशिष्ट अनुसार उनके सम्मुख वर्षों के लिए फीस का निर्धारण/पुनरीक्षण करती है ।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाएं एवं संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बी0टी0आई0 ग्राउण्ड, शंकर नगर रायपुर की ओर वेबसाईड में अपलोड हेतु भेजी जाए ।

3.6.19

अध्यक्ष	सदस्य(विधि)	सदस्य(वित्त)
एएफआरसी	एएफआरसी	एएफआरसी